

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-509 / 2013

संस्थित दिनांक 19.06.2013

फाई. क्र.234503000272013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, रूपझर
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन****// विरुद्ध //**

महेन्द्र पिता सुखलाल वल्के, उम्र-22 वर्ष,
 निवासी ग्राम नारंगी थाना रूपझर जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपी****// निर्णय //****दिनांक 22/02/2018 को घोषित**

01— अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (दो शीर्ष) का यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 27.03.2013 को करीब 11:00 थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम सोनपुरी व नारंगी के बीच में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.डी.4579 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत संतोष मर्सकोले व सालिकराम को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी संतोष ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.03.13 को दिन बुधवार के शाम के करीब 06:00 बजे उसकी मोटर सायकिल से वह और सालिकराम दोनों नारंगी से पानीटोला जा रहे थे, तभी सोनपुरी मेन रोड तरफ से एक हीरो होण्डा तेज गति से आ रही थी, जिसका चालक हीरो होण्डा को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। गाड़ी में एक व्यक्ति पीछे बैठा था, सामने से तेज गति से आकर उसकी साइकिल को मार दिया, जिसमें वह तथा सालिकराम साइकिल से गिर गये। उसे मुँह में तथा हाथ में चोटें आई तथा सालिक को हल्की चोटें आई। उसने चालक को पहचाना था, जो ग्राम नारंगी का महेन्द्र था तथा हीरो होण्डा गाड़ी का नंबर एम.पी.50एम.डी.4579

था, फिर वह अच्छा नहीं लगने के कारण अपना ईलाज कराया तथा अच्छा लगने पर चौकी आकर रिपोर्ट किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 0/13 धारा-279, 337 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस चौकी उकवा में आपराधिक क्रमांक 30/13 धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मो.व्ही.एक्ट कायम कर विवेचना की गई। प्रार्थी एवं सालिकराम का एम.एल.सी. कराया गया। आरोपी चालक एवं गाड़ी की पतासाजी कर गाड़ी को जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया। फरियादी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। प्रकरण में विवेचना दौरान धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त चालान क्रमांक 28/04/13 दिनांक 21.04.13 को तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो काउन्टस) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 27.03.2013 को करीब 11:00 थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम सोनपुरी व नारंगी के बीच में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.डी.4579 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत संतोष मर्सकोले व सालिकराम को चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित की ?

—विवेचना एवं निष्कर्ष :—**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02**

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी संतोष मर्सकोले अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग तीन वर्ष शाम करीब सात-आठ बजे की है। वह अपनी साईकिल से वह और सालिकराम ग्राम नारंगी से पानीटोला आ रहे थे। नारंगी सोनपुरी के बीच में उसका एक्सीडेंट मोटर सायकिल से हो गया था। उक्त मोटर सायकिल आरोपी महेन्द्र चला रहा था। घटना में उसे मुँह तथा सालिकराम को पैर में चोटें आयी थी। घटना उन्हीं की गलती से हुई थी। वह लोग अनियंत्रित होकर गिर गये थे। उसने घटना की रिपोर्ट उकवा चौकी में की थी, जो प्रपी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका-नक्शा प्रपी-02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी संतोष मर्सकोले अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 27.03.13 को शाम करीब 06:00 बजे की है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी चालक हीरो होण्डा को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट किया था, दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी के अनुसार वह लोग अनियंत्रित होकर गिर गये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

07— साक्षी घनश्याम अग्रवाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही किसी को गिरफ्तार किया था।

08— साक्षी घनश्याम अग्रवाल अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 27.03.2013 को उकवा जाते समय नारंगी में सुखलाल ने उसे बताया था कि आरोपी महेन्द्र ने अपनी मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.डी.4579 से पानीटोला जा रहे साइकिल चालक संतोष मर्सकोले व सालिकराम को टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोटें आयी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी.50/एम.डी.4579 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए आज असत्य कथन कर रहा है।

09— साक्षी सुखलाल अ.सा.03 ने कथन किया है वह आरोपी को जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही किसी को गिरफ्तार किया था।

10— साक्षी सुखलाल अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 27.03.2013 को उसे मालूम पड़ा कि उसके पुत्र महेन्द्र कुमार ने अपनी हीरो होण्डा मोटर साइकिल क्र. एम.पी.50/एम.डी.4579 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर साइकिल चालक संतोष मर्सकोले व सालिकराम को ठोस मार दिया

है, जब वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि संतोष व सालिकराम थे, जिसके बाद संतोष मर्सकोले को चोट लगने के कारण बालाघाट ईलाज हेतु ले गये थे और सालिकराम को हल्की चोट आयी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.06 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी. 50/एम.डी.4579 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए आज असत्य कथन कर रहा है।

11— साक्षी संदीप अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो वर्ष पूर्व शाम के समय करीब 4-5 बजे ग्राम नारंगी की है। घटना के समय वह महेन्द्र के साथ उकवा से नारंगी मोटर सायकिल पर जा रहा था, जिसे आरोपी महेन्द्र चला रहा था। ग्राम नारंगी के पास सायकिल सवार दो व्यक्ति विपरीत दिशा से आकर उनकी मोटर सायकिल से टकरा गये थे, जिससे गिरने पर उन लोगों को चोटें आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना सायकिल वालों की गलती से हुई थी।

12— साक्षी संदीप अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी महेन्द्र ने मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से आ रहे सालिकराम की सायकिल को ठोस मार दिया था, जिससे सालिकराम तथा संतोष को चोटें आई थी।

13— साक्षी सालिकराम अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब 03 वर्ष पूर्व शाम के समय ग्राम नारंगी से सोनपुरी के बीच की है। घटना के समय वह संतोष के साथ सायकिल में

ग्राम नारंगी से पानीटोला आ रहा था। सायकिल को संतोष चला रहा था। सोनपुरी से नारंगी के बीच उनकी सायकिल अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिससे उन दोनों को चोटें आयी। घटना में उसने पैर में चोटें आयी थी। घटना के बाद वह दोनों अपने घर आ गये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी।

14— साक्षी सालिकराम अ.सा.06 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 27.03.13 दिन बुधवार के सायं 06:00 बजे की है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय सोनपुरी तरफ से एक हीरो मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.डी.4579 तेज गति से आ रही थी, जिसे आरोपी चला रहा था और जिसने तेज गति से उनकी सायकिल को ठोस मार दिया था, उस समय वहाँ पर अन्य लोग भी आ गये और संतोष को ईलाज के लिये बालाघाट ले गये। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-06 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है, इसलिये वह आरोपी के पक्ष में कथन कर रहा है।

15— साक्षी नेहरू अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.04.2013 को चौकी उकवा थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी संतोष द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.बी.4579 हीरो होण्डा के चालक आरोपी महेन्द्र के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने पर उसके द्वारा शून्य पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा असल कायमी हेतु थाना रूपझर प्रेषित किया गया था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहतगण का मुलाहिजा जिला चिकित्सालय बालाघाट अस्पताल से करवाया गया था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी संतोष तथा गवाह सालिकराम की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार

किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16— साक्षी नेहरू अ.सा.05 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी महेन्द्र से ग्राम नारंगी में गवाह सुखलाल एवं घनश्याम के समक्ष आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.बी4579 हीरो होण्डा को मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा गवाह संदीप तथा दिनांक 04.04.2013 को प्रार्थी संतोष, आहत सालिकराम तथा गवाह घनश्याम, सुखलाल के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। विवेचना के दौरान प्रार्थी संतोष की चोटों के संबंध में दंत चिकित्सक ए.पी. अरोरा बालाघाट से क्वेरी रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। दिनांक 03.04.2013 को ही वाहन परीक्षण परीक्षणकर्ता धर्मेन्द्र ठाकरे से करवाकर थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

17— साक्षी नेहरू अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मौका-नक्शा उसने उकवा चौकी में बैठकर बनाया था। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर जाकर बनाया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल की दूसरी ओर पन्नालाल ठाकरे का खेत लेख है, जप्ती पत्रक प्र.पी.04 की कार्यवाही उसके द्वारा नहीं की गई थी, प्र.पी.04 की कार्यवाही पर आरोपी के पिता के हस्ताक्षर करवा लिये गये थे।

18— साक्षी नेहरू अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी के पिता सुखलाल हैं। उसे घनश्याम प्रसाद कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं है। साक्षी ने इन

सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे इसलिये जानकारी नहीं है कि उसने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी तथा जप्ती के गवाह के बारे में जानकारी रहती तो घनश्याम प्रसाद जप्ती के गवाह की जानकारी रहती, संपत्ति पत्रक प्र.पी04 की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात उसने गवाहों के हस्ताक्षर ले लिये थे। मैकेनिकल परीक्षण की लिखावट उसकी है। साक्षी के अनुसार परीक्षणकर्ता से परीक्षण करवाने के उपरांत उसके द्वारा लिखी गई है।

19— साक्षी नेहरू अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मैकेनिक की दुकान उनकी चौकी के सामने है और मात्र उसने उससे परीक्षण रिपोर्ट में हस्ताक्षर करवा लिये है। उसे मैकेनिकल परीक्षणकर्ता की दुकान चौकी के सामने है, के संबंध में जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 27.03. 2013 की है। साक्षी के अनुसार ईलाज उपरांत फरियादी द्वारा थाने आकर शिकायत करने पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

20— साक्षी नेहरू अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि क्यूरी रिपोर्ट घटना के लगभग एक माह पश्चात मंगाई गई थी, उक्त संबंध में प्रकरण में कोई लेख अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी संतोष, गवाह सालिकराम, सुखलाल तथा घनश्याम के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रार्थी की सायकिल को उसके द्वारा जप्त नहीं किया गया था, उसके द्वारा आहत की सायकिल के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं किये गये है। साक्षी के अनुसार मौके पर सायकिल हिफाजतनामा पर दी गई थी, जिस संबंध में केस डायरी में लेख है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था और उसके द्वारा प्रार्थी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठी विवेचना की गई है।

21— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहतगण संतोष मर्सकोले व सालिकराम को साधारण उपहति कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। घटना के आहत संतोष मर्सकोले अ.सा.01 तथा आहत सालिकराम अ.सा.06 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी तथा उनकी सायकिल अनियंत्रित होकर गिर गई थी। घटना के अन्य साक्षीगण ने घटना में अभियुक्त की किसी लापरवाही अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है। प्रकरण के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संदीप अ.सा.04 ने भी कहा है कि सायकिल सवार दो व्यक्ति विपरीत दिशा से आकर उनकी मोटर सायकिल से टकरा गये थे, जिससे गिरने से उन्हें चोटें आई थी।

22— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

23— अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.डी.4579 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर

आहत संतोष मर्सकोले व सालिकराम को चोट पहुँचाकर साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त महेन्द्र कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (दो शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

24- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.डी.4579 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

26- अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)